राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4115–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–11–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 23/अ–27/2011–12.

———

राजेन्द्र प्रसाद आ0 रविन्द्र नाथ ठाकुर (खत्री)
निवासी सी–10, आकृति नगर
नेहरू नगर, भोपाल
तहसील व जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– दिनेश कुमार वल्द स्व. रविशंकर ठाकुर
निवासी ठाकुर मोहल्ला, सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
2– श्रीमती पुष्पा ठाकुर पत्नी स्व. मोहनसिंह ठाकुर
3– आशीष ठाकुर वल्द स्व. मोहनसिंह ठाकुर
क.2 लगायत 3 निवासीगण ग्राम गोलगांव
वर्तमान एवं स्थाई निवास पैदापल्ली, आंध्रप्रदेश
4– उमाशंकर वल्द स्व. शिवदृष्टि नारायण
निवासी गोलगांव, हाल मुकाम आदर्श कॉलौनी बुरहानपुर
5– दिनेश कुमार आ. स्व. नर्मदा प्रसाद
निवासी गोलगांव स्थाई निवास सुखलिया, इंदौर
तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदकगण

———

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री वीरेन्द्र सोनी, अभिभाषक, अनावेदकगण एवं
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 30 मई, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 के पिता स्व. रविशंकर ठाकुर ने प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 119–ए/2011 प्रस्तुत किया था । उक्त व्यवहार वाद में समझौता हो गया है, अतः समझौते के अनुसार स्व. रविशंकर के वारिसान को प्राप्त भूमि सर्वे क्रमांक 378 रकबा 27.53 एकड़ पर उनका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ–27/2011–12 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान शारदा चरण सिंह, राजेन्द्र कुमार, हरेंद्र, चंद्रनिकेश ठाकुर, दुर्गेश कुमार, राजेश एवं कैलाश द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर व्यवहार वाद में पक्षकार होने के आधार पर पक्षकार बनाने एवं तद्नुसार आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति चाही गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–11–2012 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । इस प्रकरण में केवल यही बिन्दु

विचारणीय है कि क्या तहसीलदार द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं ? इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से केवल निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) तहसीलदार का बोलता हुआ आदेश नहीं होने से संहिता की धारा 56 के अंतर्गत आदेश की परिधि में नहीं आता है ।

(2) व्यवहार न्यायालय में 77 व्यक्ति पक्षकार थे, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा केवल 7 व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने का आदेश देने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से आधार उठाया गया है कि व्यवहार न्यायालय में हुए समझौते के आधार पर अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है । यह भी आधार लिया गया है कि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा आवेदक को भी पक्षकार बनाया गया है, इसलिए उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अंत में आधार लिया गया है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा शारदा चरण सिंह वगैरह की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में उनके पक्षकार होने के आधार पर तहसील न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तद्नुसार आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति चाही गई है । चूंकि व्यवहार न्यायालय में शारदा चरण सिंह, राजेन्द्र कुमार, हरेंद्र, चंद्रनिकेश ठाकुर, दुर्गेश कुमार, राजेश एवं कैलाश पक्षकार हैं, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाया गया यह आधार कि व्यवहार न्यायालय में 77 व्यक्ति पक्षकार थे, अतः सभी को पक्षकार बनाना चाहिए था, परन्तु केवल 7 व्यक्तियों को पक्षकार बनाने में तहसीलदार द्वारा अनियमितता की गई है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण में जिन व्यक्तियों द्वारा पक्षकार बनने हेतु कार्यवाही की गई है, उन्हीं को पक्षकार बनाया जाना उचित कार्यवाही है, और जो व्यक्ति पक्षकार नहीं बनना चाहते, अथवा प्रचलित प्रकरण में रूचि नहीं रखते हैं, उन्हें पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर